कबीरधाम पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

- ❑ अवैध शराब तस्करी करते हुए आरोपी गिरफ्तार
- ❑ 69 पेटी गोवा शराब कीमती 3,45,000 रूपये किया गया जप्त
- ❑ घटना में ईस्तमाल किये गये स्कोर्पियो वाहन को भी किया जप्त

दिनांक 01/09/2019 को डा. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा सभी थाना/चैकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नाकाबंदी लगाया जाकर संदिग्ध वाहनों की चेंकिग किये जाने निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में सभी थाना/चैकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नाकाबंदी पांईट लगाया गया था, कि इसी दौरान पुलिस चैकी पोड़ी में मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की स्कार्पियों वाहन जिसका नंबर सीजी 07 AX 7366 नेशनल हाईवे से होते हुये चिल्फी की ओर से तेज गति से बोड़ला की ओर आ रही है तथा उसमें बैठे व्यक्तियों की गतिविधियाँ संदिग्ध लग रही है, कि पुलिस चैकी पोड़ी में प्राप्त उक्त सूचना के आधार पर चैकी क्षेत्रांतर्गत लगाये गये नाकाबंदी पांईट को सतर्क किया गया। कुछ समय पश्चात् मुखबीर द्वारा बताये गये उक्त वाहन पोड़ी की ओर आने पर उसे रूकवाकर गाड़ी में बैठे व्यक्तियों से पुछताछ किया गया, जिन्होने अपना नाम संजय पिता ददन वर्मा, इन्द्रासन पिता शिवनाथ जायसवाल निवासी सुपेला भिलाई दुर्ग का होना बताया तथा वाहन की तलाशी लेने के दौरान उस वाहन में 69 पेटी गोवा शराब कीमती 3,45,000 रूपये भरी हुई पाया गया

कबीरधाम पुलिस
आपकी सेवा में सदैव तत्पर

जिसके संबंध में वाहन में सवार व्यक्तियों से पुछताछ करने पर उक्त शराब को अवैध रूप से धन अर्जित करने हेतु बिक्री करने के लिए ले जाना बताया। जिस पर वाहन में सवार व्यक्तियों का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत् पाये जाने से उक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी कार्यवाही किया गया तथा वाहन में रखे शराब एवं वाहन को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के निर्देशन में पुलिस चैकी प्रभारी पोड़ी उप निरीक्षक रविशंकर साहू, प्रधान आरक्षक रूपेश देवांगन, बलदाऊ प्रसाद, आरक्षक सुनील चैहान, रधुनंदन चंद्रवंशी, पुरन डाहिरे एवं अन्य स्टाफ के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

आरोपीः-

01. संजय पिता ददन वर्मा उम्र 25 वर्ष साकिन सुपेला भिलाई जिला दुर्ग

OUT
GOA